04.03.2025:—पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। उभयपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही की जा रही है। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जा रहे है। पुर्व पेशी दिनांक 18.02.2025 को न्यायाति मे अवसर दिया जाकर हिदायत दी गई थी कोई अमल नही हुआ। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्तिथ नही आये। उभयपक्ष अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:12:43 IST
Reason: SelfAttested